रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 1998/आश्विन 23, 1920
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1998/ASVINA 23, 1920

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1998

सं० ए-67/96-आईपीसी-1(खण्ड-2).—विद्युत क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सरकार ने विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाले उद्यमियों की अधिकाधिक भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार की थी। इन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों की भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई स्कीम के ब्यौरे 22 अक्तूबर, 1991, मंगलवार को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प सं. 237 में घोषित किए गए हैं। कथित संकल्प के पैराग्राफ सं० 2.1 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि निजी क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय की राशि, जो कि 40% से अधिक नहीं होगी, भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) से प्राप्त की जा सकती है लेकिन शेष धनराशि अन्य स्रोतों से पूरी की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक विद्युत क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा सकें, यह अनुमति प्रदान की गई थी कि परियोजना के लिए कुल परिव्यय की धनराशि, जो कि 60% से कम नहीं होगी, भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है।

2. सरकार ने तब से कई सारे प्रत्यावेदन प्राप्त किए हैं जिसमें इस सीमा में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि यद्यपि आई.एफ.आई. द्वारा प्रयोग में लाए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और बाह्य स्रोतों से अधिकतम वित्त पोषण की आवश्यकता की शर्त पर किसी परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा जुटाए गए स्वदेशी ऋण की मात्रा पर प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी स्वदेशी स्रोत वाले संयंत्र एवं उपस्करों पर आधारित परियोजनाओं के लिए अधिक स्वदेशी ऋण घटक की अनुमति प्रदान करना अधिक वांछनीय होगा।

राकेश कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October, 1998

No.A-67/96-IPC.I(Vol.II).—With the objective of bringing in additionality of resources for the capacity addition programme in the electricity sector, Government had formulated a policy to encourage greater participation by privately-owned enterprises in the fields of electricity generation, supply and distribution. Details of the scheme framed to encourage private enterprises' participation in these fields were announced in this Ministry's Resolution No. 237, published in the

Gazette of India (Extraordinary), Part-I - Section 1 dated Tuesday, October 22, 1991. In paragraph 2.1 of the said resolution, it was, inter-alia, mentioned that an amount not exceeding 40% of the total outlay for private sector units may come from Indian public financial institutions (IFIs), but the remaining amount should be met from other sources. In other words, to ensure that the investor brings in additionality of resources to the electricity sector, not less than 60% of the total outlay for the project was permitted to come from sources other than Indian public financial institutions.

2. Government has, since then, received a number of representations requesting relaxation of this limit. The matter has been examined and it is decided that, while there would be no bar to the extent of domestic debt raised by a project developer, subject to the need of maximising financing from external sources and prudential norms exercised by IFIs, allowing a higher domestic debt component for projects which are developed based on indigenously sourced plant and equipment would be more desirable.

RAKESH KACKER, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.